

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ ए-3-51-2019-1-पांच-(47).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पांच-(29), दिनांक 04 मई 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में “ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनसे भिन्न” शब्दों के पश्चात् “एक सरकारी विभाग, एक स्थानीय निकाय”, शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ ए-3-51-2019-1-पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1-पांच (47), दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

F A-3-51-2019-1-V(47).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA-3-51-2019-1-V (29), dated the 4th May 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the words “notifies registered person, other then”, the words “a government department, a local authority”, shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.